

२१७  
जबसे से रीडर

22/S/17

पशावली केम्य बोर्ड / ज्याय काणवे द्वार में  
उत्पुत / वादी उपस्थित / TDR से बंधवारा  
प्रस्ताव प्राप्त / कोलिन डिडी जारी की जाती है  
पत्रावली में निर्णय तृथबुसे लिखा जाकर  
संलग्न पत्रावली विद्या मया / उपपत्रावली  
देसल शुमार होवर नंबर से कम हो



प्र. नि. वा. द.  
शर्मिता

~~उपलब्ध अधिकारी एवं~~  
पतेन सहायक क्लर्क, भीलवाड़ा

1. श्रीमती अनिता पत्नि भंवर लाल सांसी, निवासी-सांगानेर कॉलोनी, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।

-वादियां

**बनाम**

1. श्री बट्टी पुत्र बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
2. कमली पुत्री बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
3. सोहनी पुत्री बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
4. श्रीमती फेफी बेवा बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक 22.05.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम धूमड़ास की प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.8.2016 को जारी की गई। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश में बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा ग्राम धूमड़ास, पटवार हल्का रूपोली में निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में नाम एवं आराजियात दर्ज करें -

नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा
1-बट्टी पिता बालू 1/8, कमली, सोहनी पुत्री बालू, फेफी पत्नि बालू 7/8 बोला, सा.देह खातेदार	114/2 किता 1	0-13 बीघा कुल रकबा 0-13 बीघा
2-अनिता पत्नि भंवर लाल सांसी, निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा खातेदार	1004/2 1006 किता 2	0-05 बीघा 0-03 बीघा कुल रकबा 0-08 बीघा
3-कमली, सोहनी पुत्री बालू, फेफी पत्नि बालू बोला सा0देह खातेदार	1003/2 किता 1	1-00 बीघा कुल रकबा 1-00 बीघा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। आज दिनांक 22.05.2017 कोर्ट केम्प रूपाहेली में सरेआम सुनाया गया।

पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पक्षीय सहायक केबलर  
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

उनवान

1. श्रीमती अनिता पत्नि भंवर लाल सांसी, निवासी-सांगानेर कॉलोनी, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।

-वादियां

बनाम

1. श्री बद्री पुत्र बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
2. कमली पुत्री बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
3. सोहनी पुत्री बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
4. श्रीमतीर फेफी बेवा बालू बोला, निवासी-धूमड़ास, तहसील व जिला-भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

दावा बाबत:- अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या - 91/2015

निर्णय दिनांक - 22.05.2017

इस वाद के आज दिनांक 22.5.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि -

तहसीलदार भीलवाड़ा ग्राम धूमड़ास, पटवार हल्का रूपोली में निम्नानुसार राजस्व रेकार्ड में नाम एवं आराजियात दर्ज करें -

नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा
1-बद्री पिता बालू 1/8, कमली, सोहनी पुत्री बालू, फेफी पत्नि बालू 7/8 बोला, सा.देह खातेदार	114/2	0-13 बीघा
	किता 1	कुल रकबा 0-13 बीघा
2-अनिता पत्नि भंवर लाल सांसी, निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाड़ा खातेदार	1004/2	0-05 बीघा
	1006	0-03 बीघा
	किता 2	कुल रकबा 0-08 बीघा
3-कमली, सोहनी पुत्री बालू, फेफी पत्नि बालू बोला सा.देह खातेदार	1003/2	1-00 बीघा
	किता 1	कुल रकबा 1-00 बीघा

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज दिनांक 22.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।